

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

(2022
31)

1. इन्द्राज पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
2. गिराज पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
3. रामप्रसाद पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
4. प्रहलाद पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
5. रामकृपाल पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायलान इन्द्राज, गिराज, रामप्रसाद, प्रहलाद, रामकृपाल पुत्रान लल्लूराम जाति मीना निवासी भजेड़ा ने वाके ग्राम भजेड़ा की राजकीय चारागाह भूमि के आ0ख0न0 158 रकबा 0.30 हे0 पर सरसो की फसल काशतकर सम्वत् 2078 में अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान की ओर से इन्द्राज उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस का जवाब व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही सरह लगान के 1.20 रु की 50 गुणा राशि 60/-रु पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते हैं कि फसल को कब्जे राज लेकर, निलामी कार्यवाही कर वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

निर्णय दिनांक 15.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 06 पर रा. 4. 60/-
राशि कायम किये गये।

पत्रावली
त. रा. लेखाकार

(बाबूलाल मीना)

तहसीलदार राजगढ़
राजगढ़ (अलवर)